

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

रीडर/2025/9842

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

दिनांक - 16.12.25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

मूलाराम पुत्र सुखराम  
जाति जाट निवासी जैतपुर  
चौखला तहसील बाटाडू  
जिला बाड़मेर।

1 खेताराम पुत्र सुखराम, 2 हुकमाराम पुत्र ताजाराम 3  
कलाराम उर्फ भूराराम पुत्र जीयाराम, 4 आईदानराम पुत्र  
जेठाराम, 5 चन्द्रावती पत्नि जोगाराम 5 बालीदेवी पत्नी  
जेठाराम जातियान जाट निवासी जैतपुर (चौखला) तहसील  
बाटाडू जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 255/2025

दिनांक- 04/12/2025

**आदेश**

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जैतपुर पटवार क्षेत्र चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खसरा संख्या  
557/499 रकबा 10.4414 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने  
हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व  
प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी  
फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992  
के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे  
एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर  
बाड़मेर

दिनांक- 16.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/9843-46

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चौखला तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर  
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण मूलाराम पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी जैतपुर चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण खेताराम पुत्र सुखराम वगैराह जातियान जाट निवासी जैतपुर चौखला तहसील बाटाडू जिला  
बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर  
बाड़मेर

